(क) क्या यह सच है कि पिछले एक वर्ष के दौरान दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में महिलाओं पर अत्याचार के मामलों में कई गुना वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो पिछले एक वर्ष के दौरान यौन-उत्पीड़न, बलात्कार, दहेज और छेड़छाड़ के कितने मामलों का पता चला है और उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में महिलाओं को पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराने हेतु सरकार क्या-क्या कदम उठाने का विचार रखती है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन)

**(क) से (ग) : एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।**

**\*\*\*\*\***

**दिनांक 25.04.2012 के राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 283 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में विवरण**

**(क) से (ग) : महोदय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का गठन दिल्ली के अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश, राजस्थान तथा हरियाणा जैसे पड़ोसी राज्यों के जिलों के साथ किया गया है।**

 **जहां तक दिल्ली का प्रश्न है, दिल्ली पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा एवं संरक्षा के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। इन उपायों में महिला पुलिस सहित उपयुक्त पुलिस स्टाफ की उपस्थिति के लिए अपेक्षित संवेदनशील क्षेत्रों का अभिनिर्धारण करना शामिल है। महिलाओं के प्रति अपराध बहुल क्षेत्रों को कवर करने के लिए महिला पुलिस स्टाफ को बीटों में तथा पी सी आर वैनों में तैनात किया गया है। समस्त पुलिस थानों में महिला सहायता डेस्कों का गठन किया गया है और महिलाओं की सुरक्षा के लिए कदम उठाने हेतु बी पी ओ, कारपोरेट तथा मीडिया हाउसों को सी आर पी सी की धारा 144 के अन्तर्गत दिशानिर्देश जारी कर महिला कर्मचारियों की सुरक्षा एवं संरक्षा के लिए विशेष उपाय किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, दिल्ली पुलिस ने कई हेल्पलाइनें यथा महिला हेल्पलाइन 1091 तथा एण्टी-ऑब्शीन कॉल/एण्टी-स्टॉकिंग हेल्पलाइन 1096 को खोल रखी हैं।**

 **जहाँ तक उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा राज्यों का प्रश्न है, यह उल्लेखनीय है कि भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अन्तर्गत ‘पुलिस’ और ‘लोक व्यवस्था’ राज्य के विषय हें, इसलिए राज्य सरकारें प्राथमिकत: अपराध की रोकथाम करने, पता लगाने, पंजीकरण करने और जांच-पड़ताल करने के लिए तथा अपनी कानून प्रवर्तन एजेन्सियों की मशीनरी के माध्यम से अपराधियों पर अभियोग चलाने के साथ-साथ नागरिकों के जान-माल की सुरक्षा करने के लिए भी उत्तरदायी हैं। गृह मंत्रालय ने समस्त राज्य सरकारों/संघराज्य क्षेत्रों को दिनांक 4 सितम्बर, 2009 को विस्तृत सलाहकारी पत्र भेजा है जिसमें उन्हें, अन्य बातों के साथ-साथ, सलाह दी गई है कि वे महिलाओं के प्रति हिंसा के लिए दोषी पाए गए व्यक्तियों को त्‍वरित एवं सुधारात्‍मक दण्ड देने हेतु उपयुक्त उपाय अपनाएँ, जांच-पड़ताल की गुणवत्ता को सुधारें, महिलाओं के प्रति अपराध की जांच-पड़ताल में देरी को कम करें, जिलों में ‘क्राइम अगेन्स्ट वूमन सेलों” की स्थापना करें, पुलिस कर्मियों को महिलाओं के प्रति सुग्राही बनाएं, विशेष महिला न्यायालयों की स्थापना करें और कॉल सेंटरों में रात्रिकालीन पालियों में काम करने वाली महिलाओं की सुरक्षा के लिए कदम उठाएं।**

 **‘भारत में अपराध-2010’ (राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एन सी आर बी) की एक रिपोर्ट) के अनुसार वर्ष 2010 में एन सी आर में पंजीकृत महिलाओं पर अत्‍याचारों के मामले नीचे दिए गए हैं:-**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **क्रम सं.** | **एन सी आर के जिले** | **बलात्कार** | **दहेज मृत्यु** | **छेड़छाड़** | **यौन उत्पीड़न** | **कुल** |
| **1** | **अलवर** | **105** | **42** | **122** | **0** | **269** |
| **2** | **बागपत** | **14** | **14** | **13** | **0** | **41** |
| **3** | **बुलंदशहर** | **24** | **40** | **60** | **0** | **124** |
| **4** | **दिल्ली** | **507** | **143** | **601** | **80** | **1331** |
| **5** | **फरीदाबाद** | **51** | **23** | **27** | **78** | **179** |
| **6** | **गौतमबुद्ध नगर** | **39** | **19** | **41** | **0** | **99** |
| **7** | **गाजियाबाद** | **44** | **69** | **77** | **0** | **190** |
| **8** | **गुड़गांव** | **45** | **22** | **30** | **38** | **135** |
| **9** | **झज्जर** | **36** | **12** | **27** | **30** | **105** |
| **10** | **मेरठ** | **64** | **43** | **91** | **0** | **198** |
| **11** | **मेवात** | **28** | **5** | **12** | **5** | **50** |
| **12** | **पलवल** | **41** | **14** | **30** | **0** | **85** |
| **13** | **पानीपत** | **55** | **13** | **22** | **30** | **120** |
| **14** | **रेवाड़ी** | **25** | **14** | **16** | **27** | **82** |
| **15** | **रोहतक** | **51** | **17** | **26** | **57** | **151** |
| **16** | **सोनीपत** | **27** | **26** | **32** | **36** | **121** |
|  | **कुल एन सी आर** | **1156** | **516** | **1227** | **381** | **3280** |